



सूचना
का
अधिकार


आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट-I/

दिनांक:-

आदेश


इस विभाग के आदेश क्रमांक 504 दिनांक 22-10-19 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 507 दिनांक 24-10-19 की अनुपालना में श्री के.एल. सिराधना, संयुक्त निदेशक, प्रशासन, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को राज्य लोक सूचना अधिकारी, प्रशासन शाखा एवं आर.टी.आई. समन्वयक तुरन्त प्रभाव से नियुक्त किया जाता है।


(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त

क्रमांक :- एफ 20(101/127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट-I/2065-2074 दिनांक:- 30-10-19

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, मुख्य सूचना आयुक्त, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड़ ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
- 2 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 4 निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 5 समस्त संयुक्त निदेशक एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 7 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 8 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- 9 प्राचार्य एवं लोक सूचना अधिकारी, समस्त राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
- 10 विभागीय वेबसाईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।


(प्रदीप कुमार बोरड़)
आयुक्त